खायिक मजिस्टेट प्रथम श्रण लोक विजय निवस प्रथम श्रण

Date of order or proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessary

20.01.17

अारक्षी केन्द्र नोहड चाँदाहाँ की ओर से आरक्षक अनिल्यानी नम्बर
हारा संबंधित थाने के अप०क० ०२/१७ अतर्गत धारा
34(3) पुलिस एक्ट के अधीन अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोगपत्र/परिवाद धारा 173 द०प्र०स० के अधीन केन्द्रीय पंजीयन प्रारूप फार्म की दो प्रतियों मे विधिवत् प्रस्तुत किया गया।

राज्य द्वारा ए डी पी ओ श्री शिकरवार

अभियुक्त/अभियुक्तगण सहित/द्वारा 🗶

प्रकरण मे धारा 190-1 द०प्र०स० के अधीन संज्ञान लिये जाने का आधार अभियुक्त/अभियुक्तगण अधार अभार 5/० लप्टम० सिंह रविन उर्थ - 38 वर्ष ति. हरगोति-६५रा, गोहरशोड-जार्श

के विरूद्ध पारे जाने से उनका संज्ञान लिया गया।


अभियुक्तगण को न्यायालय की अभिरक्षा मे लिया गया। अभियुक्तगण को द०प्र०स० की धारा 207 के अधीन अभियोगपत्र की संमस्त विहित नकलें / छायाप्रति प्रदान की गई। पावती अंकित कराई जाए प्रकरण मे मुददे माल प्रस्तुत / प्रस्तुत नही।

अभियुक्त / अभियुक्तगण उप० नहीं।

साथ ही केन्द्रीय पंजीयन के विहित फार्म की प्रति अभियोगपत्र सहित केन्द्रीय पंजीयन कार्यालय मे आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाए। प्रकरण थोडी देर बाद पेश हो।

अभियुक्त को सूचनापत्र/समन द्वारा आहूत किया जावे। प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति हेतु दिनांक 11-2-17 को पेश

हो।



पुनश्चः , नर्णयानुसार अभियुक्त / अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि ज्ञा कि जिसकी पावती चुक क्व स्ति कि जिसकी पावती चुक स्ति अभियुक्त / अभियुक्त गण को सजा भुगताई गई। प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसार संचित हो।